

**बिहार सरकार**  
**खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग**

पत्रांक-प्र010/ख0वि0अधि0-07/2021

4607

खाद्य, पटना/दिनांक-01/11/2021

प्रेषक,

विनय कुमार,  
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :- खरीफ विपणन मौसम, 2021-22 में विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अन्तर्गत धान/चावल अधिप्राप्ति कार्यक्रम हेतु तैयार कार्य-योजना एवं मार्ग निर्देश के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय अधिसूचना संख्या- 4606 दिनांक- 01.11.2021

महाशय,

विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अन्तर्गत खरीफ विपणन मौसम, 2021-22 में धान/चावल अधिप्राप्ति कार्यक्रम 01 नवम्बर, 2021 से चरणबद्ध तरीके से प्रारंभ किया जा रहा है । कृषि विभाग द्वारा पंजीकृत किसानों से भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिक से अधिक धान की अधिप्राप्ति सुनिश्चित किए जाने हेतु विस्तृत कार्य-योजना एवं मार्ग-निर्देश निर्गत किया गया है, जो पत्र के साथ संलग्न की जा रही है । उल्लेखनीय है कि खरीफ विपणन मौसम, 2021-22 में राज्य के पंजीकृत किसानों से ही धान की अधिप्राप्ति सुनिश्चित की जाए, जिससे किसानों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ अधिक से अधिक प्राप्त हो । साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि व्यापारी या बिचौलिए की संलिप्तता किसी भी स्थिति में न हो ।

अतः अनुरोध है कि खरीफ विपणन मौसम, 2021-22 हेतु तैयार कार्य-योजना एवं मार्ग निर्देश में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए किसानों से लक्ष्य के अनुरूप धान अधिप्राप्ति सुनिश्चित करने की कृपा की जाए ।

अनु0-यथोक्त ।

ज्ञापांक-प्र010/ख0वि0अधि0-07/2021

4607

खाद्य, पटना/दिनांक-

01/11/2021

प्रतिलिपि- सभी जिला के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ज्ञापांक-प्र010/ख0वि0अधि0-07/2021

4607

खाद्य, पटना/दिनांक-

01/11/2021

प्रतिलिपि- सभी पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ज्ञापांक-प्र010/ख0वि0अधि0-07/2021

4607

खाद्य, पटना/दिनांक-

01/11/2021

प्रतिलिपि- प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, बिहार, पटना/सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, सहकारी बैंक लि0, पटना/महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ज्ञापांक-प्र010/ख0वि0अधि0-07/2021

4607

खाद्य, पटना/दिनांक-

01/11/2021

प्रतिलिपि- सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

**बिहार सरकार**  
**खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग**

संचिका संख्या -प्र10/ख0वि0अधि0- 07/2021

**खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्थान्तर्गत धान/चावल अधिप्राप्ति कार्यक्रम हेतु कार्ययोजना एवं मार्गनिर्देश।**

राज्य में धान की अधिप्राप्ति विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति योजना (DCP) के अंतर्गत सम्पन्न की जानी है। तदालोक में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के किसानों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ अधिक से अधिक उपलब्ध कराने के लिए खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में धान अधिप्राप्ति का सांकेतिक लक्ष्य 45 लाख मे0टन माना जाय तथा पूर्व वर्ष की भाँति खरीफ विपणन मौसम, 2021-22 अंतर्गत भी अधिक से अधिक किसानों से उनके उत्पादन के धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिप्राप्ति की जाए। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के अनुसार राज्य अंतर्गत धान अधिप्राप्ति के लिए पंचायत स्तर पर पैक्स एवं प्रखण्ड स्तर पर व्यापार मंडल द्वारा धान अधिप्राप्ति हेतु क्रय केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा अधिप्राप्ति धान की मिलिंग, बिहार राज्य खाद्य निगम (नोडल एजेंसी) में ऑनलाईन पंजीकृत मिल एवं जिला टास्क फोर्स से चयनित एवं सम्बद्ध गैर प्रमादी मिल के साथ एकरारनामा कर भारत सरकार द्वारा अद्यतन निर्धारित गुणवत्ता/मानक के अनुरूप सी0एम0आर0 (यथासंभव उसना चावल) नोडल एजेंसी के निर्धारित संग्रहण केन्द्रों पर जमा कराया जाएगा। पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा अग्रिम सी0एम0आर0 (यथा संभव उसना चावल) प्राप्त कर जमा कराना सुनिश्चित किया जाएगा। अग्रिम सी0एम0आर0 जमा करने के पश्चात् पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा मिल को चक्रानुक्रम में समतुल्य मात्रा में धान की आपूर्ति की जाएगी। पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा प्राप्त अग्रिम चावल के विरुद्ध ही मिल को धान की आपूर्ति की जाएगी। उक्त प्राप्त सी0एम0आर0 (यथा संभव प्राप्त उसना चावल) का उपयोग भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के आलोक में खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनान्तर्गत किया जाएगा। राज्य सरकार ने पूर्व वर्ष की भाँति इस वर्ष भी धान अधिप्राप्ति के अभियान को निर्वाचन कार्य सदृश प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है।

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति योजनान्तर्गत नोडल एजेंसी होगी।

पूरी अधिप्राप्ति प्रक्रिया Online Procurement System आधारित होगी। पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा कृषि विभाग, बिहार, पटना में उन्हीं निबंधित किसानों से धान क्रय किया जाएगा जिनके द्वारा कृषि विभाग के पोर्टल [www.dbtagriculture.bihar.gov.in](http://www.dbtagriculture.bihar.gov.in) पर भूमि संबंधी विवरण Upload किया गया हो।

अधिप्राप्ति संबंधी सभी कार्रवाई यथा किसान निबंधन, किसानों से धान का क्रय, भुगतान संबंधी विपत्र/एडभाईस समितियों द्वारा मिलरों को धान का प्रेषण, ट्रक चालान, पैक्स द्वारा मिलर से चावल की प्राप्ति एवं चावल संग्रहण केन्द्र पर चावल का प्रेषण, स्वीकृत्यादेश (Acceptance Order), स्वीकृति सह विश्लेषण प्रतिवेदन (Acceptance cum Analysis Report), क्रय सह भुगतान अभिश्रव (Purchase cum Payment Voucher), भुगतान आदेश (Payment Advice), बैंक सलाह सूची का निर्माण Online ही सम्पन्न होगा। Online निर्गत विभिन्न आदेशों की हस्ताक्षरित प्रति का ही उपयोग विभिन्न आनुसंगिक कार्य हेतु किया जाएगा।

अधिप्राप्ति से सम्बन्धित सभी प्रकार का भुगतान Online निर्गत भुगतान आदेश के आलोक में PFMS के माध्यम से होगा। PFMS के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से भुगतान नहीं किया जाएगा।

चूँकि सारी प्रक्रिया Online सम्पन्न होना है, ऐसी स्थिति में धान अधिप्राप्ति की अंतिम तिथि को [epacs.nic.in/food](http://epacs.nic.in/food) पर प्रदर्शित अधिप्राप्ति संबंधी विवरण मान्य होगा एवं भारत सरकार द्वारा निर्मित CFPP Portal पर सभी सूचनाएँ Real Time पर Upload होगी।

खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य, खेती करने वाले किसानों से धान की अधिप्राप्ति एवं पैक्सों और व्यापार मंडलों से अधिप्राप्ति धान की मिलिंग कराकर नोडल एजेंसी बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को सी0एम0आर0 प्राप्त कराने की अवधि निम्न प्रकार होगी :-

|   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | साधारण धान                  | 1940 / - रु0 प्रति क्वीटल                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2 | धान (ग्रेड-'ए')             | 1960 / - रु0 प्रति क्वीटल                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3 | धान अधिप्राप्ति की अवधि     | <div>1. दिनांक:-01.11.2021 से 15.02.2022 तक कोशी एवं पूर्णियाँ प्रमंडल के सभी जिलों में</div> <div>2. दिनांक :- 10.11.2021 से 15.02.2022 तक तिरहुत, दरभंगा एवं सारण प्रमंडल के सभी जिलों में</div> <div>दिनांक 15.11.2021 से 15.02.2022 तक राज्य के शेष जिलों में।</div> |
| 4 | सी0एम0आर0प्राप्ति की अवधि * | दिनांक 01.11.2021 से 30.06.2022 तक                                                                                                                                                                                                                                       |

\*पैक्स एवं व्यापार मंडल द्वारा 30.06.2022 तक अधिप्राप्ति धान के विरुद्ध सी0एम0आर0 बिहार राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराया जाएगा। परन्तु विशेष परिस्थिति में सी0एम0आर0 प्राप्ति की अवधि 31.07.2022 तक बढ़ाई जा सकेगी।

## 2. अधिप्राप्ति कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएँ

- कृषि विभाग में निबंधित किसानों द्वारा कृषि विभाग के पोर्टल [www.dbtagriculture.bihar.gov.in](http://www.dbtagriculture.bihar.gov.in) पर भूमि से संबंधित तथा अन्य सूचनाओं को अंकित किए जाने के पश्चात् उन किसानों से धान का क्रय पंचायत स्तर पर पैक्स एवं प्रखण्ड स्तर पर व्यापार मंडल द्वारा संचालित किसी भी क्रय केन्द्र के माध्यम से किया जा सकेगा।
- कृषि विभाग में निबंधित रैयती किसान निबंधन संख्या के आधार पर कृषि विभाग के पोर्टल [www.dbtagriculture.bihar.gov.in](http://www.dbtagriculture.bihar.gov.in) पर भूमि से संबंधित तथा अन्य सभी वांछित सूचनाओं को अंकित किए जाने के पश्चात् स्वतःजनित घोषणा-पत्र के आधार पर किसी भी क्रय केन्द्रों में अधिकतम 250 क्वी0 धान की अधिप्राप्ति कराई जाएगी।
- गैर-रैयती किसान कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीयन के पश्चात् उक्त पंजीयन संख्या के आधार पर कृषि विभाग के पोर्टल [www.dbtagriculture.bihar.gov.in](http://www.dbtagriculture.bihar.gov.in) पर खेती किए जाने वाले भूमि से संबंधित सूचनाओं को अंकित किया जाएगा। तत्पश्चात् स्वतःजनित घोषणा-पत्र पर किसान सलाहकार/वार्ड सदस्य से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर अधिकतम 100 क्वी0 धान की अधिप्राप्ति किसी भी क्रय केन्द्रों पर कराई जाएगी।
- कृषि विभाग में निबंधित तथा कृषि विभाग के पोर्टल पर भूमि संबंधी तथा अन्य सभी वांछित सूचनाओं को अंकित करने वाले किसानों की सुविधा तथा धान अधिप्राप्ति में पादर्शिता के लिए सहकारिता विभाग के द्वारा मोबाईल एप का निर्माण किया गया है। पैक्स/व्यापार मंडल के अध्यक्ष द्वारा इस मोबाईल एप के माध्यम से निबंधित एवं भूमि संबंधी सूचनाओं को अंकित करने वाले किसानों की प्रदर्शित सूची के आधार पर निबंधित किसानों से धान अधिप्राप्ति की जाएगी।
- सहकारिता विभाग के स्तर से निर्मित मोबाईल एप का उपयोग करते हुए निबंधित किसानों द्वारा वांछित भूमि संबंधी तथा अन्य सूचनाओं को अंकित करने के पश्चात् स्वजनित घोषणा-पत्र के आधार पर मोबाईल एप के माध्यम से पैक्सों का चयन/धान अधिप्राप्ति हेतु समय का निर्धारण करते हुए इच्छानुसार चयनित क्रय केन्द्रों पर अपने धान की अधिप्राप्ति करा सकेंगे।
- राज्य में गठित सभी अंकेक्षित एवं चयनित पैक्स/व्यापार मंडल जिनका नाम कालीसूची में दर्ज नहीं हो, को क्रय केन्द्र हेतु क्रियाशील बनाया जाएगा। तकनीकी अथवा वैधानिक कारणों से पैक्स/व्यापार मंडल के अक्रियाशील रहने की स्थिति में सहकारिता विभाग बगल के पैक्स/व्यापार मंडल के साथ इसकी सम्बद्धता की व्यवस्था करेगा ताकि पंचायत के किसानों को धान बिक्री में कोई असुविधा न हो। इसके अतिरिक्त किसानों को अपने धान की बिक्री किसी भी क्रय केन्द्र पर करने की स्वतंत्रता होगी।
- पंजीकृत किसानों द्वारा कृषि विभाग के पोर्टल पर भूमि तथा अन्य सभी सूचनाओं को अंकित करने के पश्चात् क्रय किये गये धान के मूल्य के लिए किसानों को संबंधित पैक्स/व्यापार मंडल के द्वारा PFMS के माध्यम से क्रय के 48 घंटों के अन्दर भुगतान की व्यवस्था नामित खातों में की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में किसानों से क्रय किये गये धान का बकाया नहीं रखा जाएगा और न ही किसी अन्य खाते में या नकद भुगतान किया जाएगा।

- अधिप्राप्ति किये गये धान के समतुल्य सी0एम0आर0 (यथासंभव उसना चावल) पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा स्टोनर, डबल पॉलिसर एवं ग्रेडर की व्यवस्था से सुसज्जित तथा जिला टास्क फोर्स से अनुमोदित पंजीकृत गैर प्रमादी मिलर, के माध्यम से तैयार कराकर भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप उसकी गुणवत्ता की जाँचोपरान्त प्राप्त कर उक्त सी0एम0आर0 का उपयोग भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के आलोक में खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत किया जाएगा।
- पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा एकरारनामित मिल से मिलिंग क्षमता को ध्यान में रखते हुए गारन्टी के रूप में अग्रिम सी0एम0आर0 (यथा संभव उसना चावल) प्राप्त किया जाएगा एवं प्राप्त अग्रिम सी0एम0आर0 के समानुपातिक अधिप्राप्ति धान मिलों को उपलब्ध कराया जाएगा। पुनः धान के समानुपातिक सी0एम0आर0 प्राप्त करने के पश्चात् धान की आपूर्ति करने का क्रम जारी रखा जाएगा ताकि किसी भी परिस्थिति में अधिक धान मिलों के पास न रहे। इस प्रकार पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा चक्रानुक्रम में मिलिंग कराया जाएगा।
- जिन जिलों में लक्ष्यांकित धान की मात्रा के समानुपातिक रूप में मिलों की मिलिंग क्षमता अपेक्षाकृत कम है, तथा निर्धारित समय सीमा अन्तर्गत धान की शत-प्रतिशत कुटाई की संभावना न हो, उन जिलों में उपलब्ध मिलिंग क्षमता के अतिरिक्त धान की मिलिंग का कार्य पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा जिला टास्क फोर्स के द्वारा अनुमोदित अगल-बगल के जिला में पंजीकृत/अनुमोदित मिलों से एकरारनामा कर कराया जाएगा।
- पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा एकरारनामित मिलों से मिलिंग कराकर भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप चावल निगम द्वारा संचालित विभिन्न चावल संग्रह केन्द्रों पर जमा किया जाएगा।
- पैक्स/व्यापार मंडलों को उनके द्वारा जमा सी0एम0आर0 के विरुद्ध जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम राज्य अधिप्राप्ति पोर्टल एवं CFPP पोर्टल पर प्रदर्शित सी0एम0आर0 की मात्रा के आधार पर विधिवत् जाँचोपरान्त PFMS के माध्यम से अधिकतम 03 दिनों के अन्दर भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
- विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अंतर्गत धान अधिप्राप्ति से सम्बद्ध सभी राशि सरकारी राशि है। ऐसी स्थिति में खरीफ विपणन मौसम 2021-22 अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन जिलों द्वारा निर्धारित समय-सीमा अंतर्गत अधिप्राप्ति धान की मिलिंग कराकर समतुल्य सी0एम0आर0 जमा नहीं किया जाता है, तो वैसी स्थिति में उन जिलों के संबंधित पैक्स अध्यक्ष/व्यापार मंडल/राईस मिल को अविलंब चिन्हित किया जाय एवं उनके विरुद्ध कानूनी/अनुशासनिक कार्रवाई एवं अन्य आवश्यक कार्रवाई यथा Certificate Case बगैरह की जाएगी। साथ ही राज्य खाद्य निगम द्वारा ऐसे पैक्स/व्यापार मंडल को काली सूची में दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी।
- पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा वायदा आधारित (Future trade based) धान के क्रय की अनुमति नहीं होगी एवं यह आपराधिक कृत्य माना जाएगा। साथ ही किसी भी परिस्थिति में वायदा आधारित धान या सी0एम0आर0 की मात्रा ऑन-लाईन प्रतिवेदित नहीं की जाएगी।
- भारत सरकार के द्वारा खरीफ विपणन मौसम, 2021-22 हेतु पत्र संख्या 40-4/2020-QCC दिनांक 16.07.2021 के द्वारा धान अधिप्राप्ति तथा सी0एम0आर0 अधिप्राप्ति के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है (प्रति संलग्न)। उक्त मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार धान/चावल की गुणवत्ता मानक के अनुरूप प्राप्त करने के लिए बहुस्तरीय जाँचदल से Periodic inspection तथा Surprise inspection की व्यवस्था लागू की गई है। भारत सरकार के स्तर से इस संदर्भ में निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया के आधार पर खरीफ विपणन मौसम, 2021-22 में धान/चावल के गुणवत्ता तथा निरीक्षण कार्य को सम्पन्न किया जाएगा।
- ऐसी स्थिति में सहकारिता विभाग तथा बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम का यह दायित्व होगा कि पैक्स/व्यापार मंडलों के गोदामों के साथ-साथ चावल मिलों के गोदामों एवं सी0एम0आर0 गोदामों का प्रत्येक सप्ताह भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जाए एवं परिलक्षित त्रुटियों का ससमय निवारण करते हुए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण धान/चावल अधिप्राप्ति सुनिश्चित की जाए।
- भारत सरकार के द्वारा खरीफ विपणन मौसम, 2018-19 एवं उसके पश्चात् धान/सी0एम0आर0 की अधिप्राप्ति के लिए गन्नी बैग का उपयोग एवं उक्त के परिप्रेक्ष्य में Usage charges को भारत सरकार से प्राप्त करने के लिए दिशा-निर्देश निर्गत है (प्रति संलग्न), जिसमें किसानों से अधिप्राप्त धान को 50 किलो क्षमता के गन्नी बैग में अधिकतम 40 किलो धान की मात्रा भरकर पैक्स/मिलों के गोदामों में विधिपूर्वक संचारित करने का प्रावधान है। साथ ही आवश्यकतानुसार भारत सरकार की अनुमति से गन्नी बैग के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप Usage charges को प्राप्त करने के लिए सभी निर्धारित प्रक्रियाओं को पूरा कर तदुनुरूप प्रमाण-पत्र समर्पित किए जाने के पश्चात् भारत सरकार से इस मद में वांछित राशि विमुक्त किए जाने हेतु अनुरोध करने का प्रावधान है। अतः अनुपालन हेतु किसानों द्वारा अधिप्राप्त धान को एक बार उपयोग किए गए गन्नी बैग में अधिकतम 40 किलो की मात्रा भरकर पैक्स/मिलों के गोदामों में

विधिपूर्वक संधारित किया जाएगा, ताकि भारत सरकार द्वारा निर्धारित बहुस्तरीय जाँच के क्रम में अधिप्राप्त धान/सी0एम0आर0 की मात्रा को प्रतिवेदित धान/सी0एम0आर0 की मात्रा के आलोक में जाँच की जा सके।

- बिहार राज्य खाद्य निगम यह सुनिश्चित करेगा कि सी0एम0आर0 की प्राप्ति हेतु यथावांछित संख्या में गन्नी बैग्स की ससमय उपलब्धता सुनिश्चित हो ताकि किसी भी परिस्थिति में जिलान्तर्गत गन्नी बैग्स की कमी नहीं हो सके। खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में यदि जूट आयुक्त, कोलकाता के द्वारा ससमय नये गन्नी बैग्स की आपूर्ति नहीं की जाती है, तो बिहार राज्य खाद्य एवं असेनिक आपूर्ति निगम के द्वारा सक्षम प्राधिकार की अनुमति से निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप एक बार प्रयोग किये गये गन्नी बैग्स को जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं से क्रय कर उसका उपयोग सी0एम0आर0 अधिप्राप्ति हेतु आवश्यकतानुसार की जाएगी।
- सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि ऑन-लाईन प्रतिवेदित धान की मात्रा के आलोक में गोदामों का भौतिक सत्यापन कराकर समतुल्य विहित गुणवत्ता के अनुरूप सी0एम0आर0 की शत-प्रतिशत मात्रा मिलने से प्राप्त करते हुए निर्धारित समय-सीमा तक सी0एम0आर0 गोदामों में जमा कर तत्संबंधी अंतिम प्रतिवेदन सहकारिता विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा बिहार राज्य खाद्य निगम को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।
- विकेन्द्रीकृत धान अधिप्राप्ति का कार्य भारत सरकार के निदेशानुसार राज्य अधिप्राप्ति पोर्टल में न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात् Online सम्पन्न किया जा रहा है। इसलिए प्रत्येक दिन अधिप्राप्त धान तथा सी0एम0आर0 की मात्रा की Online Daily Reporting बाध्यकारी होगी। साथ ही उक्त से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन की प्रति FCI के जिला कार्यालय/क्षेत्रीय प्रबंधक को भी उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति ऑनलाईन माध्यम से खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को भी उपलब्ध करायी जाएगी।
- बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा स्थापित सी0एम0आर0 संग्रहण केन्द्रों पर लॉट वार प्रति लॉट 290 क्वी0 सी0एम0आर0 की प्राप्ति की जाएगी।
- वैश्विक महामारी कोविड-19 का प्रभाव राज्य में व्याप्त होने को ध्यान में रखते हुए सभी क्रय केन्द्रों पर एवं गोदामों/सी0एम0आर0 केन्द्रों पर मास्क, सिनेटाईजर, सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य आवश्यक बचाव के उपायों की व्यवस्था की जाएगी।

### 3. जिला स्तरीय प्रबंध।

- राज्य सरकार द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णय के अक्षरशः अनुपालन हेतु प्रत्येक जिले में निम्नांकित व्यवस्था अनिवार्य रूप से अविलम्ब कर ली जाए।
- जिला पदाधिकारी द्वारा सहकारिता विभाग एवं राज्य खाद्य निगम से स्वतंत्र एक वरीय पदाधिकारी को अधिप्राप्ति कार्य हेतु मनोनित किया जाएगा।

#### (I) लक्ष्य का निर्धारण

- खरीफ विपणन मौसम 2021-22 अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि पूर्व खरीफ विपणन मौसम की भाँति भारत सरकार द्वारा निर्धारित सांकेतिक लक्ष्य **30 लाख मे0टन चावल (45 लाख मे0टन धान)** को अंतिम सीमा नहीं माना जाए एवं राज्य के रैयती/गैर-रैयती किसानों से उनके लिए निर्धारित मात्रा अंतर्गत अधिक से अधिक अधिप्राप्ति को प्रोत्साहित किया जाए।
- जिला पदाधिकारी द्वारा प्रखंडवार/पंचायतवार अधिप्राप्ति लक्ष्य निर्धारित की जाएगी, ताकि अधिप्राप्ति कार्य हेतु आवश्यकतानुसार पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा पर्याप्त तैयारी ससमय की जा सके।
- पैक्सवार/व्यापार मंडलवार धान क्रय का लक्ष्य निर्धारित करते समय संबंधित जिला पदाधिकारी, जिला अंतर्गत धान उत्पादन की वास्तविक आँकड़ों को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में धान अधिप्राप्ति की मात्रा उत्पादन सीमा से अधिक नहीं हो।
- राज्य खाद्य निगम द्वारा पर्याप्त संख्या में सी0एम0आर0 संग्रहण केन्द्रों की स्थापना की जाएगी, ताकि पैक्सों को सी0एम0आर0 जमा करने में कठिनाई न हो। इस कार्य हेतु निगम के पास उपलब्ध बड़े गोदामों को चिन्हित कर गोदाम प्रबंधक एवं गुणवत्ता नियंत्रक की तत्काल प्रतिनियुक्ति की जाएगी।

#### (II) क्रय केन्द्रों का निर्धारण

- खरीफ विपणन मौसम 2021-22 अन्तर्गत किसानों से धान क्रय हेतु मुख्य रूप से पंचायत स्तर पर पैक्स एवं प्रखण्ड स्तर पर व्यापार मंडल द्वारा एक-एक क्रय केन्द्र की स्थापना की जायेगी। किसी भी परिस्थिति में राईस मिल के परिसर में धान अधिप्राप्ति क्रय केन्द्रों का निर्धारण नहीं किया जाएगा। मूल रूप से क्रय केन्द्र स्थापित करने की जिम्मेवारी सहकारिता विभाग की है।
- जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा पैक्स/व्यापार मंडल हेतु निर्धारित क्रय केन्द्र को पूर्ण विवरणी, यथा क्रय

केन्द्र की अवस्थिति, गोदाम की भंडारण क्षमता (कवर्ड एवं कैप के साथ) अधिसूचित की जाएगी। साथ ही सहकारिता पदाधिकारी द्वारा इसकी मैपिंग अधिप्राप्ति पोर्टल पर की जाएगी।

- सहकारिता विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि जिला अंतर्गत संचालित सभी क्रय केन्द्रों में निम्नांकित तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं :-
  - ❖ क्रय केन्द्रों एवं महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर अधिप्राप्ति कार्य एवं कोविड-19 से बचाव संबंधित महत्वपूर्ण सूचना का बैनर/दीवार अभिलेखन।
  - ❖ क्रय केन्द्र हेतु प्रतिदिन अनुमानित अधिप्राप्ति के आकलन के अनुरूप भंडारण हेतु गोदाम की समुचित व्यवस्था।
  - ❖ माप तौल यंत्र की व्यवस्था।
  - ❖ Moisture Meter की व्यवस्था एवं Calibration।
  - ❖ Blower/Drier की आवश्यकतानुसार व्यवस्था।
  - ❖ क्रय केन्द्र पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन।
  - ❖ प्रति दिन ऑनलाईन पंजीकृत किसानों की सूची वेबसाइट/पैक्स/व्यापारमंडलों के क्रय केन्द्र पर प्रदर्शित करने की व्यवस्था, ताकि किसानों को आवश्यक जानकारी प्राप्त हो सके।
  - ❖ पर्याप्त रोशनी/विद्युत संपर्कता की व्यवस्था।
  - ❖ माप दंड के अनुरूप दक्ष एवं योग्य कर्मियों की व्यवस्था।
  - ❖ आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था।
  - ❖ केन्द्र के आस-पास पर्याप्त खुले स्थान का होना।
  - ❖ विहित प्रक्रिया के अनुरूप पंजियों का संधारण।
  - ❖ किसानों को PFMS के माध्यम से 48 घंटों के अन्दर भुगतान हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी का पदस्थापन।
- पैक्स एवं व्यापार मंडल के धान अधिप्राप्ति हेतु क्रियाशील गोदामों पर निम्न व्यवस्था रहेगी :-
  - ❖ भारत सरकार द्वारा निर्धारित माप दंड के अनुरूप गुणवत्ता जाँच की व्यवस्था एवं डनेज(dunnage) मटेरियल की उपलब्धता।
  - ❖ निर्धारित माप दंड के अनुरूप तारपोलिन/तिरपाल की उपलब्धता।
  - ❖ निर्धारित माप दंड के अनुरूप नाइलन की रस्सी।
  - ❖ घेराबन्दी अगर पूर्व से उपलब्ध न हो।
  - ❖ कैप कार्यालय की व्यवस्था।
  - ❖ पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था।
  - ❖ अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था।
  - ❖ सुरक्षा की व्यवस्था।
  - ❖ निर्धारित माप दंड के अनुरूप योग्य कर्मियों की उपलब्धता।
  - ❖ कोविड से बचाव की व्यवस्था।
  - ❖ निर्धारित माप दंड के अनुरूप पंजियों का संधारण।
- सभी जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिलों में उपर्युक्त तैयारियों के साथ माह 01 नवम्बर 2021 से 15 नवम्बर, 2021 तक क्रमवार निर्धारित धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम के अनुरूप उन क्षेत्रों के सभी क्रय केन्द्र पूर्ण रूप से कार्यरत/क्रियाशील हो जाए।
- अधिप्राप्ति अवधि (15.02.2022 तक) समाप्त होते ही जिला पदाधिकारी सभी क्रय केन्द्रों यथा पैक्स एवं व्यापार मंडल क्रय केन्द्र से विहित प्रपत्र में धान क्रय का अंतिम प्रतिवेदन राज्य अधिप्राप्ति पोर्टल पर प्रदर्शित आँकड़ों के आलोक में भौतिक सत्यापनोपरान्त समेकित कराकर अंतिम प्रतिवेदन अधिकतम दिनांक 28.02.2022 तक सहकारिता विभाग, निगम मुख्यालय एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध करावेंगे। अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् पुनः समर्पित संशोधित प्रतिवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- चूँकि अधिप्राप्ति की सारी प्रक्रिया ऑनलाईन सम्पन्न किया जाना है। ऐसी स्थिति में दिनांक 15.02.2022 को [epacs.bih.nic.in/food](http://epacs.bih.nic.in/food) पर प्रदर्शित धान क्रय की मात्रा खरीफ विपणन मौसम 2021-22 के लिए मान्य होगा।  
यदि भौतिक सत्यापन में क्रय केन्द्र पर कम मात्रा पाया जाता है तो संबंधित से स्पष्टीकरण प्राप्त कर जिला पदाधिकारी यथोचित निर्णय लेंगे एवं जबाबदेही निर्धारित कर कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन सहकारिता विभाग एवं बिहार राज्य खाद्य एवं असेनिक आपूर्ति निगम

### को उपलब्ध करायेंगे।

- चूँकि अधिप्राप्ति का कार्य अधिप्राप्ति सॉफ्टवेयर के माध्यम से सम्पन्न कराया जाना है, जिसमें गोदामों में भण्डारित अवशेष भी दर्शित होगा, ऐसी स्थिति में जिला पदाधिकारी क्रय केन्द्रों का भौतिक सत्यापन प्रत्येक माह कराना सुनिश्चित करेंगे।
- पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा सी0एम0आर0 का परिवहन कर निगम द्वारा संचालित निकटतम सी0एम0आर0 गोदाम में स्वयं अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सी0एम0आर0 की आपूर्ति की जाएगी।
- सी0एम0आर0 संग्रहण केन्द्रों पर सी0एम0आर0 प्राप्ति के संदर्भ में निम्नांकित तथ्य अनुकरणीय होंगे :-
- ★ सी0एम0आर0 लॉट वार प्रति लॉट 290 क्वी0 सी0एम0आर0 की प्राप्ति किया जाएगा।
- ★ प्रत्येक सी0एम0आर0 प्रभारी द्वारा पैक्सवार प्रति लॉट प्राप्त चावल की सूचना Automatic Alert SMS के माध्यम से जिला प्रबंधक/अपर जिला प्रबंधक (अधिप्राप्ति) को प्रतिदिन देना सुनिश्चित किया जाएगा।
- ★ सी0एम0आर0 प्राप्ति की सारी कार्रवाई ऑनलाईन सम्पन्न की जायेगी।
- ★ सी0एम0आर0 के निर्गमन में "प्रथम आगत-प्रथम निर्गत" सिद्धांत का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।

### (III) भंडारण की व्यवस्था

- अधिप्राप्त धान एवं चावल के भण्डारण हेतु प्रयुक्त सभी गोदाम पूर्ण विवरण यथा गोदाम का नाम, गोदाम की अवस्थिति, भण्डारण क्षमता, Covered/Uncovered के साथ क्रमशः जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। पैक्स द्वारा प्रयुक्त गोदामों की मैपिंग की जबाबदेही जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं चावल संग्रह केन्द्रों द्वारा अधिसूचित गोदामों के मैपिंग की जबाबदेही जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम की होगी।
- धान/चावल के भण्डारण हेतु आवश्यकतानुसार क्रमशः पैक्स एवं बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा भाड़ा पर गोदाम लिया जा सकेगा।
- जिला पदाधिकारी द्वारा बाजार समिति प्रांगण में गोदाम की व्यवस्था की जाती रही है। पूर्व में दिये गये निदेश के अनुसार जिलों में अवस्थित बाजार समिति प्रांगण में उपलब्ध गोदाम, औद्योगिक क्षेत्र के प्रांगण क्षेत्र में अवस्थित गोदाम, टाउन हॉल, खाली पड़े बिहार राज्य वित्त निगम एवं अन्य संस्थाओं के गोदाम/कोल्ड स्टोरेज तथा बड़े-बड़े निजी गोदामों का सर्वेक्षण कराकर इसे भंडारण हेतु बिहार राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराया जाएगा। अगर राज्य खाद्य निगम को निर्धारित दर पर निजी गोदाम उपलब्ध नहीं होता है तो उन गोदामों का किराया संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी-सह-गृह नियंत्रण पदाधिकारी के माध्यम से निर्धारित कराकर राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराने पर विचार किया जाएगा।
- अधिप्राप्त धान/चावल का भण्डारण नियमानुसार Stack Wise संधारित करने की अनिवार्यता होगी, जिससे भौतिक सत्यापन के क्रम में भण्डारित धान/चावल की मात्रा का सत्यापन किया जा सके।

### (IV) मिलिंग की व्यवस्था

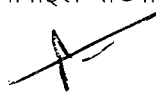
- जिला टास्कफोर्स द्वारा ऑनलाईन पंजीकृत मिलों से वैसे मिल जो गैर प्रमादी हों जिनके पास डी स्टोनर, डब्ल पॉलिसर, ग्रेडर की सुविधा उपलब्ध हो एवं मिलिंग हेतु अन्य सुविधायें उपलब्ध हो का चयन किया जाएगा एवं दूरी को मद्देनजर रखते हुए पैक्स/व्यापार मंडल के साथ सम्बद्ध किया जाएगा। मिलिंग की सम्बद्धता पैक्स/व्यापार मंडल की पसन्द से नहीं की जाएगी।
- पैक्स एवं व्यापार मंडल के द्वारा जिला टास्कफोर्स से चयनित ऑनलाईन पंजीकृत गैर प्रमादी मिल के साथ एकरारनामा कर अधिप्राप्ति धान की मिलिंग कराकर अधिसूचित सी0एम0आर0 गोदाम पर शत-प्रतिशत सी0एम0आर0 लॉट वार (290 क्वी0 प्रति लॉट) जमा कराया जाएगा। मिलिंग हेतु पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा मिलों को धान की आपूर्ति मिलों से प्राप्त सी0एम0आर0 के समतुल्य ही की जाएगी और यह प्रक्रिया चक्रानुक्रम में जारी रहेगी। किसी भी परिस्थिति में अतिरिक्त धान मिलों को नहीं दी जायेगी। इसे जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
- जिन जिलों में लक्ष्यांकित धान की मात्रा के समानुपातिक रूप में मिलों की मिलिंग क्षमता अपेक्षाकृत कम है, तथा निर्धारित समय सीमा अंतर्गत धान की शत-प्रतिशत कुटाई की संभावना न हो, उन जिलों में उपलब्ध मिलिंग क्षमता के अतिरिक्त धान की मिलिंग का कार्य पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा जिला टास्क फोर्स की सहमति प्राप्त कर अगल-बगल के जिलों में पंजीकृत/अनुमोदित मिलों से एकरारनामा कर कराया जाएगा। जिला टास्क फोर्स द्वारा यथासंभव उसना चावल मिलों की ही टैगिंग की जाएगी।
- वैसे पैक्स जो जन वितरण प्रणाली विक्रेता के साथ मिलर का भी कार्य करते हैं, द्वारा संचालित राईस मिलों को अधिप्राप्ति धान की कुटाई हेतु प्राधिकृत किये जाने के पूर्व यह व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी

कि टी0पी0डी0एस0 हेतु प्राप्त खाद्यान्न एवं धान की कुटाई से प्राप्त सी0एम0आर0 का भण्डारण पृथक गोदामों में संधारित हो। साथ ही पैक्स द्वारा संधारित जन वितरण गोदामों को जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं सी0एम0आर0 गोदामों को जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा माह में एक बार उक्त गोदामों का निरीक्षण अनिवार्य रूप से करते हुए प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को अनिवार्य रूप से समर्पित की जाएगी।

- एकरारनामित मिलर को उनके द्वारा जमा अग्रिम सी0एम0आर0 के विरुद्ध सम्बद्ध पैक्स/व्यापारमंडल द्वारा संचालित क्रय केन्द्र से आनुपातिक रूप में धान प्राप्त कराया जायेगा एवं इस संदर्भ में ट्रक चालान (RT-Note) पैक्स/व्यापार मंडल जारी करेगा।
- पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा क्रय धान के विरुद्ध ही मिलरों से अग्रिम सी0एम0आर0 प्राप्त किया जायेगा। साथ ही प्राप्त सी0एम0आर0 के विरुद्ध तीन दिनों के अंदर मिलरों को समानुपातिक धान की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
- भारत सरकार, भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य सरकार के पदाधिकारियों की गठित संयुक्त जाँच दल द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में भण्डारित अधिप्राप्ति धान/सी0एम0आर0 की गुणवत्ता, भण्डारण एवं प्रबंधन की क्रमशः Periodic inspection तथा Surprise inspection समय-समय पर की जाएगी, जिसके आलोक में प्रतिवेदित धान/सी0एम0आर0 की मात्रा को ही स्वीकार किया जाएगा।

**इसके अतिरिक्त मिलिंग से संबंधित निम्न कार्यवाई भी सुनिश्चित की जाएगी :-**

- वैसे प्रमादी मिलर जो गत वर्षों में निर्धारित अवधि में सी0एम0आर0 हस्तगत कराने में असफल रहे हैं, परन्तु अवशेष सी0एम0आर0 की समतुल्य राशि सभी प्रकार देयता सहित निगम खाता में जमा कर देते हैं तो खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में अधिप्राप्त धान की कुटाई हेतु सत्यापनोपरान्त एकरारनामा के पात्र होंगे।
- वैसे मिलर जो प्रमादी हों, जिनके विरुद्ध लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत कार्यवाई लम्बित हो, Arbitration में मामला चल रहा हो अथवा राशि वसूली हेतु किसी न्यायालय में मामला लम्बित हो वो मिलिंग हेतु एकरारनामा के पात्र नहीं होंगे।
- एकरारनामित मिलों के चयन के पूर्व संबंधित जिला प्रबंधक एवं जिला में पदस्थापित एवं अधिप्राप्ति कार्य के लिए मनोनीत वरीय उपसमाहर्ता/जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से मिलों के भौतिक सत्यापन के पश्चात मिलों के चयन में भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित मापदंडों, यथा मिल के मालिक का नाम एवं पता तथा उद्योग विभाग द्वारा मिल के मालिक के नाम से निर्गत अनुज्ञप्ति की अद्यतन स्थिति तथा अद्यतन बिजली बिल का भुगतान एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रदूषण प्रमाण पत्र, विगत दो वर्षों का आयकर रिटर्न एवं अद्यतन प्रमाण पत्र, GST No., SSI Registration No., EPF Registration No., PAN, मिलरों की अंकेक्षित अद्यतन लेखा विवरणी, वैसे सभी वांछित अभिलेख जिससे यह प्रमाणित हो कि संबंधित मिलरों के विरुद्ध कोई Legal Obligation न हो, अधिष्ठापित उपस्कर के आलोक में दैनिक/मासिक मिलिंग क्षमता, मिल के सम्प्रति कार्यरत रहने संबंधित प्रमाण पत्र की जाँच एवं मिल परिसर में छतदार भंडारण की क्षमता के अतिरिक्त चावल मिलों में स्टोनर, डबल पॉलिसर एवं ग्रेडर की व्यवस्था का व्यावहारिक आकलन किया जाएगा। इस क्रम में विगत वर्षों के अनुभव के आधार पर छद्म मिल/मिलर तथा गत खरीफ विपणन मौसम में शत-प्रतिशत सी0एम0आर0 नहीं हस्तगत कराने वाले मिल से एकरारनामा नहीं किया जाएगा। संयुक्त जाँच दल द्वारा भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि चयनित मिलों का फोटोग्राफ एवं मैपिंग (अक्षांश/देशान्तर) भी उपलब्ध रहे। तत्पश्चात जिला टास्क फोर्स द्वारा मिलरों का चयन किया जाएगा।
- पैक्स एवं व्यापार मंडल द्वारा पंजीकृत चयनित मिलरों से एकरारनामा करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाए कि संबंधित मिल की मिलिंग क्षमता के आलोक में अग्रिम सी0एम0आर0 प्राप्त होने के पश्चात् ही अधिप्राप्ति धान की मात्रा विहित प्रक्रिया के अनुसार उन्हें उपलब्ध करायी जाए ताकि भविष्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी/गबन की स्थिति में कानूनी कार्यवाई/वसूली में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।
- उपर्युक्त प्रक्रिया के उपरांत मानक के अनुसार Short Listed किये गये पंजीकृत मिल के मालिकों के साथ जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की जाएगी। उक्त बैठक के उपरांत Short Listed मिल के मालिकों से ही पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा धान कुटाई हेतु एकरारनामा करने की कारवाई की जाएगी। पैक्स/व्यापार मंडलों के साथ मिलरों की सम्बद्धता करते समय इस बात को अवश्य ध्यान में रखा जाए कि क्रय केन्द्रों से मिलों की दूरी न्यूनतम एवं Location सही हो।
- सभी संबद्ध पैक्स/व्यापार मंडल संचालक को उनके संबद्ध मिल पर प्रतिनियुक्त सहकारिता विभाग के पदाधिकारी/जिला के पदाधिकारी की मोबाईल संख्या अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएगी।

- प्रत्येक मिल पर सुचारु रूप से मिलिंग कार्य हेतु यह अनिवार्य है कि जिला के प्रतिनियुक्त पदाधिकारी मिलिंग के समय उपलब्ध हों एवं यह सुनिश्चित करें कि मिलिंग क्षमता का अधिकतम उपयोग हो रहा है एवं क्षमता/भंडार से अधिक धान अनावश्यक रूप से वहां नहीं पहुँचाया जाए।
- मिल पर प्रतिनियुक्त जिला के पदाधिकारी/सहकारिता विभाग के पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि तैयार सी0एम0आर0 को भारत सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुरूप गुणवत्ता के जाँचोपरान्त पूर्व से अधिसूचित बिहार राज्य खाद्य निगम के सी0एम0आर0 गोदाम में भेजें।
- मिल से बिहार राज्य खाद्य निगम के सी0एम0आर0 गोदाम में सी0एम0आर0 पहुँचाने हेतु पैक्स/व्यापार मंडल पर्याप्त मात्रा में परिवहन व्यवस्था वाहन क्षमता के अनुसार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। यह भी सुनिश्चित करेंगे कि पैक्स/व्यापार मंडल से सम्बद्ध मिलों की दूरी के अनुरूप परिवहन क्षमता की व्यवस्था हो।
- पैक्स एवं व्यापार मंडल द्वारा एकरारनामित मिल पर जिला के प्रतिनियुक्त पदाधिकारी के लिए कैम्प की व्यवस्था की जाए।
- सभी एकरारनामित मिल अधिप्राप्ति पोर्टल से सम्बद्ध रहेंगे।

#### (V) धान क्रय केन्द्र पर किसानों से प्राप्त किये जाने वाले कागजात

- रैयती किसानों द्वारा कृषि विभाग के पोर्टल पर धारित भूमि संबंधी सूचनाओं को ऑन-लाईन अपलोड किए जाने के पश्चात् फोटोयुक्त पहचान पत्र-मतदाता पहचान पत्र/पासबुक की छाया प्रति/ड्राइविंग लाईसेंस एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य दस्तावेज- इनमें से कोई एक।
- गैर रैयती कृषि विभाग में निबंधित किसानों को कृषि विभाग के पोर्टल पर खेती किए जाने वाले भूमि से संबंधित सूचनाओं को अपलोड करने के पश्चात् स्वतःजनित प्रमाण-पत्र पर किसान सलाहकार/वार्ड सदस्य से प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र-मतदाता पहचान पत्र/पासबुक की छाया प्रति/ड्राइविंग लाईसेंस एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य दस्तावेज- इनमें से कोई एक।
- क्रय केन्द्रों पर किसानों से धान का क्रय करने के क्रम में पंजीकृत किसानों तथा कृषि विभाग के पोर्टल पर भूमि संबंधी सूचनाओं को अपलोड किए जाने की सूची से मिलान सुनिश्चित किया जाएगा तथा सत्यापनोपरान्त किसानों द्वारा समर्पित स्वतःजनित प्रमाण-पत्र एवं पहचान पत्र के आलोक में धान की अधिप्राप्ति की जाएगी।
- खरीफ विपणन मौसम 2021-22 अन्तर्गत साफ-सुथरे एवं सूखे हुए धान जिसकी नमी की मात्रा भारत सरकार द्वारा निर्धारित 17 प्रतिशत से अधिक न हो, को ध्यान में रखते हुए किसानों से धान की अधिप्राप्ति की जाएगी। साथ ही धान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (संलग्न) के अनुरूप गुणवत्ता की जाँच की जाएगी।
- पैक्स एवं व्यापार मंडलों द्वारा तैयार सी0एम0आर0 का हस्तांतरण संबद्ध निगम के अधिसूचित सी0एम0आर0 गोदाम पर विहित प्रपत्र में निर्गत Acceptance Order के आधार पर किया जाएगा।

#### (VI) भुगतान की व्यवस्था

- अधिप्राप्ति संबंधी सभी प्रकार का भुगतान PFMS के माध्यम से किया जाएगा।
- किसी भी परिस्थिति में वायदा आधारित (Future trade based) कोई भी धान या सी0एम0आर0 की अधिप्राप्ति एवं भुगतान नहीं किया जाएगा।
- किसान को पैक्स/व्यापारमंडल द्वारा प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराई जाएगी, जिसपर क्रय धान की मात्रा, मूल्य एवं भुगतान की सम्भावित तिथि आदि अंकित होगी, जिसकी सूचना SMS के माध्यम से किसान को दी जाएगी। किसानों को उनके खाते में धान की समतुल्य राशि PFMS के माध्यम से अधिकतम 48 घण्टे के अन्दर अंतरित की जाएगी एवं राशि अन्तरण की सूचना SMS से दी जाएगी।

❖ पैक्स/व्यापार मंडलों को उनके द्वारा जमा सी0एम0आर0 के विरुद्ध जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असेनिक आपूर्ति निगम द्वारा उनसे प्राप्त कागजातों यथा एकरारनामित/पंजीकृत मिलों से एकरारनामा की छायाप्रति, सत्यापित बैंक एडवाईस, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र, धान का पैक्स द्वारा मिलों को निर्गत आर0टी0नोट की प्रति (प्रथम/अग्रिम सी0एम0आर0 छोड़कर) धान/सी0एम0आर0 संबंधित आर0टी0 नोट, एक्सेप्टेन्स नोट एवं वजन

तालिका आदि की विधिवत् राज्य अधिप्राप्ति पोर्टल पर प्रदर्शित मात्रा से जाँचोपरान्त PFMS के माध्यम से अधिकतम 3 दिनों के अन्दर भुगतान किया जाना सुनिश्चित की जाएगी।

**(VII) पर्यवेक्षण, निरीक्षण एवं अनुश्रवण की व्यवस्था :-**

- विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण धान/सी0एम0आर0 की अधिप्राप्ति हेतु भारत सरकार के द्वारा नई मानक संचालक प्रक्रिया निर्गत की गई है (संलग्न)। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप सभी जिला पदाधिकारी धान अधिप्राप्ति के दौरान पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण हेतु निम्नांकित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे :-
  - सी0एम0आर0 संग्रहण हेतु निर्धारित गोदामों के पर्यवेक्षण के लिए वरीय पदाधिकारी के नेतृत्व में एक दल का गठन किया जाएगा, जो सी0एम0आर0 गोदामों पर गुणवत्तापूर्ण सी0एम0आर0 अधिप्राप्ति सुनिश्चित कराएगी। जिला स्तर पर वरीय पदाधिकारी के नेतृत्व में गठित दल के द्वारा जिला अंतर्गत निर्धारित सी0एम0आर0 गोदामों का प्रत्येक माह भ्रमण कर गुणवत्ता के जाँचोपरान्त अपना प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को देना सुनिश्चित करेंगे।
  - भण्डारण हेतु जिला अंतर्गत चिह्नित गोदामों में मिलवार भण्डारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, ताकि जाँच के क्रम में परिलक्षित गड़बड़ी के आलोक में दोषी चावल मिलारों/कर्मियों की पहचान स्पष्ट हो।
  - भारत सरकार/भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य सरकार के पदाधिकारियों की गठित संयुक्त जाँच दल द्वारा नियमित अंतराल पर धान अधिप्राप्ति का निरीक्षण तथा भारत सरकार के स्तर से अधिप्राप्ति कार्यक्रम के औचक निरीक्षण के क्रम में जिला प्रशासन द्वारा जाँच दल को प्रत्येक स्तर पर सहायता प्रदान किया जाएगा।
  - भारत सरकार के द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया में BRL (Beyond Rejection Limit) चावल के संबंध में दिशा-निर्देश दिया गया है कि खरीफ विपणन मौसम, 2021-22 में जिला स्तर से गठित जाँच दल/संयुक्त जाँच दल/औचक निरीक्षण के क्रम में गोदामों में भण्डारित चावल की गुणवत्ता जाँच के दौरान Beyond Rejection Limit पाई जाती है, तो संबंधित स्टॉक के बदले FAQ चावल जमा करने हेतु पैक्स/व्यापार मंडल बाध्य होगा, जो उनके अपने जोखिम पर बदला जाएगा एवं बदले हुए स्टॉक को विहित जाँचोपरान्त प्राप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इस प्रक्रिया के तहत चिह्नित BRL स्टॉक को FAQ स्टॉक में बदलने तथा सत्यापन/प्रमाणन की पूरी कार्रवाई 06 सप्ताह के अंदर पूरी की जाएगी।
  - जिला स्तरीय/संयुक्त जाँच दल स्तरीय/औचक निरीक्षण के क्रम में यदि सी0एम0आर0 गोदामों में मानव उपभोग हेतु वर्जित/अयोग्य चावल संघारित पाया जाता है, तो इस प्रकार के चावल को अयोग्य घोषित करते हुए संबंधित पैक्स/व्यापार मंडल को चिह्नित कर पूरी मात्रा की भरपाई समतुल्य FAQ चावल प्राप्त कर की जाएगी तथा अयोग्य घोषित चावल का निस्तार संबंधित पैक्स/व्यापार मंडल के खर्च पर किया जाएगा।
4. **विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अंतर्गत विभिन्न स्तरों(पदाधिकारियों/विभागों) की भूमिका।**

**(i) अधिप्राप्ति कार्य में जिला पदाधिकारी की भूमिका**

- जिलान्तर्गत अधिप्राप्ति हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुसार धान की अधिप्राप्ति एवं अधिप्राप्ति धान की मिलिंग कर समानुपातिक मात्रा में शत प्रतिशत सी0एम0आर0 हस्तगत कराने की जिला स्तर पर पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित जिला पदाधिकारी की होगी।
- क्रय केन्द्रों का निरीक्षण कर वास्तविक किसानों से धान का क्रय सुनिश्चित करना एवं लगातार क्रय केन्द्रों का निरीक्षण कराकर धान अधिप्राप्ति को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाना ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो।
- जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स की साप्ताहिक बैठक आयोजित कर जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक।
- कृषि विभाग के नियंत्रण में कार्यरत किसान सलाहकारों तथा जिला स्तर पर पूर्व अधिप्राप्ति वर्षों में गुणवत्ता नियंत्रक के रूप में प्रशिक्षित उपलब्ध कर्मियों एवं अन्य पर्यवेक्षक स्तरीय कर्मियों को गुणवत्ता नियंत्रक के रूप में सी0एम0आर0 गोदाम पर प्रतिनियुक्ति।
- बिहार राज्य खाद्य निगम के अनुरोध पर सी0एम0आर0 संग्रहण केन्द्र पर आवश्यकतानुसार अनुभवी एवं आरोपरहित कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करना।

## जिला पदाधिकारी की विशेष शक्तियाँ

- प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों का प्रशासनिक नियंत्रण जिलाधिकारी एवं प्रबन्ध निदेशक के अधीन होगा। साथ ही धान अधिप्राप्ति एवं सी0एम0आर0 प्राप्ति में जिलाधिकारी पर्यवेक्षण के साथ-साथ जिला स्तर पर गठित संयुक्त जाँच दल द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर आपेक्षित कार्रवाई गुरुत्तर जिम्मेदारी के साथ कार्य करेंगे।
- अधिप्राप्ति कार्य के लिए जिला पदाधिकारी किसी भी विभाग के पदाधिकारी/कर्मचारी को प्रतिनियुक्त कर सकेंगे।

### (ii) अधिप्राप्ति कार्य में पुलिस अधीक्षक की भूमिका

- क्रय केन्द्रों पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना।

### (iii) अधिप्राप्ति कार्य में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम की भूमिका

- अनुमण्डल स्तर पर आवश्यकतानुसार अधिसूचित सी0एम0आर0 संग्रहण केन्द्र एवं अतिरिक्त सी0एम0आर0 संग्रहण केन्द्र की स्थापना, कार्मिक की प्रतिनियुक्ति एवं उसे 01 नवम्बर 2021 से क्रियाशील करना।
- पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा क्रय धान के समानुपातिक संबद्ध मिलरों द्वारा तैयार सी0एम0आर0 को क्रय केन्द्र पर जमा करने हेतु Acceptance Order निर्गत करना।
- पैक्स/व्यापार मंडलों से अधिप्राप्त धान के विरुद्ध समानुपातिक सी0एम0आर0 निगम के सी0एम0आर0 संग्रहण केन्द्र पर प्राप्त करना।
- प्रतिदिन पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा क्रय किये गये धान एवं मिलों में मिलिंग कराये गये चावल से संबंधित प्रतिवेदन विभाग, मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त को भेजना।
- पैक्स/व्यापार मंडल एवं निगम का अधिप्राप्ति वर्षवार लेखा का अंकेक्षण कराना।
- अधिप्राप्ति कार्य के लिए प्रतिनियुक्त कर्मियों को प्रशिक्षण देना।
- *नोडल एजेंसी के रूप में निगम, पैक्स/व्यापारमंडल से अग्रिम CMR प्राप्त कर विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति योजनान्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत आवश्यकतानुसार अंतः जिला एवं अन्तर जिला TPDs में उसके उपयोग का प्रबंधन करेगी।*
- पैक्स/व्यापार मंडल को तैयार चावल सी0एम0आर0 उपलब्ध कराने हेतु प्रति क्वींटल नया दो गन्नी बैग की व्यवस्था करना।
- जूट आयुक्त द्वारा प्रयाप्त मात्रा में नया गन्नी बैग उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में विगत वर्षों के भांति एक बार प्रयोग किया हुआ गन्नी बैग क्रय करने की कार्रवाई पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।
- धान अधिप्राप्ति एवं विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति को अधिक सुचारु एवं प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए समय-समय पर आवश्यकतानुसार दिशा निर्देश वित्तीय एवं प्रशासनिक हित में निर्गत करेगी।
- धान अधिप्राप्ति के समापन की सतत समीक्षा कर दैनिक एवं अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित समयसीमा में प्राप्त करना। खरीफ विपणन मौसम 2021-22 के समापन के उपरान्त गोदामों का सत्यापन एवं अंकेक्षण कराना।

### (iv) अधिप्राप्ति कार्य में सहकारिता विभाग की भूमिका

- जिला स्तर पर एक नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति करेंगे।
- यदि पैक्स/व्यापार मंडलों के स्तर पर किसानों से धान ससमय नहीं लिये जाने की शिकायत प्राप्त होती है तो त्वरित कठोर कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाएगा एवं निर्धारित समय-सीमा के अन्दर धान की अधिप्राप्ति सुनिश्चित की जाएगी।
- खरीफ विपणन मौसम 2021-22 अन्तर्गत सिर्फ अंकेक्षित एवं गैर प्रमादी पैक्स/व्यापार मंडलों को धान अधिप्राप्ति करने हेतु प्राधिकृत करेंगे।
- चूँकि किसानों से कृषि विभाग के पोर्टल पर ऑनलाईन पंजीकृत एवं ऑन-लाईन समर्पित भूमि संबंधी सूचनाओं के आधार पर धान अधिप्राप्ति का दायित्व सहकारिता विभाग को सौंपा गया है, इसलिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा राज्य अधिप्राप्ति पोर्टल पर प्रदर्शित मात्रा के डाटा बेस के आधार पर पैक्स/व्यापार मंडलों से प्राप्त किये गये सी0एम0आर0 के विरुद्ध भुगतान करने की कार्रवाई की जाएगी।

- क्रय केन्द्र पर धान की प्राप्ति, क्रय केन्द्र पर संचालित विभिन्न कार्य, मिलिंग कराने एवं संग्रहण केन्द्र पर सी0एम0आर0 उपलब्ध कराने तक के लिए परिवहन एवं हथालन का व्यय नियमानुसार पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा किया जाएगा।
- सहकारिता विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि पैक्स/व्यापार मंडल को नगद ऋण अधिसीमा (सी0सी0 लिमिट) आवश्यकतानुसार अविलम्ब उपलब्ध हो। इस संबंध में बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, पटना को निदेश है कि समितियों को ससमय कैश-क्रेडिट ऋण उपलब्ध हो, इस हेतु अविलंब आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
- अधिप्राप्ति कार्य हेतु सक्षम पैक्स/व्यापार मंडलों का चयन करना।
- गत वर्ष में अक्रियाशील वैसे पैक्स/व्यापार मंडलों जो किसी कारणवश अधिप्राप्ति कार्य में भाग नहीं ले पाए, को खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में कार्य करने की स्थिति में लाने की दिशा में समुचित/विधि सम्मत कार्रवाई करना ताकि सभी पंचायतों में धान अधिप्राप्ति का केन्द्र क्रियाशील हो सके।
- खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा जिलावार लक्ष्यांकित कुल धान को एकरारनामित मिल में कुटाई (मिलिंग) कराके निगम के अधिसूचित सी0एम0आर0 केन्द्र पर क्रय धान के समतुल्य सिर्फ सी0एम0आर0 उपलब्ध करायेंगे।
- पैक्स/व्यापार मंडल क्रय केन्द्र पर धान के क्रय के पूर्व निर्धारित मानक के अनुरूप धान की गुणवत्ता की जाँच, प्रत्येक कार्य दिवस को क्रय के पश्चात किसानों को PFMS के माध्यम से भुगतान की गई राशि, पैक्स/व्यापार मंडल क्रय केन्द्र पर अधिप्राप्ति किये गये धान का प्रारंभिक भंडार, प्राप्ति एवं अधिशेष भंडार की सतत निगरानी, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु सहकारिता विभाग के पदाधिकारियों, यथा प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, अंकेक्षण पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहायक निबंधक इत्यादि को अधिप्राप्ति कार्य हेतु दायित्व निर्धारित करना एवं इनके द्वारा निरीक्षण हेतु मापदंड निर्धारित करना।
- पैक्स/व्यापार मंडल क्रय केन्द्रों का सुचारुपूर्वक संचालन सुनिश्चित करना।
- पैक्स/व्यापार मंडल धान क्रय केन्द्र का भौतिक सत्यापन प्रत्येक सप्ताह में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में किया जाएगा।
- पैक्स/व्यापार मंडल को पर्याप्त निधि उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था करना, ताकि किसानों को तत्काल PFMS से ऑनलाईन भुगतान हो सके।
- जिलों में चल रहे अधिप्राप्ति कार्य के पर्यवेक्षण हेतु पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करना।
- पैक्स अध्यक्ष/व्यापार मंडल के प्रबंधकों का अधिप्राप्ति, बैंक संचालन आदि बिन्दुओं पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित करना।
- वैसे जिले जहाँ सहकारी बैंक नहीं है, वहाँ बिहार राज्य सहकारी बैंक द्वारा पूर्व की भाँति वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी।
- अधिप्राप्ति की सभी प्रक्रिया ऑनलाईन सम्पन्न किया जाना है। ऐसी स्थिति में अधिप्राप्ति की अंतिम तिथि 15.02.22 को [epacs.bih.nic.in/food](http://epacs.bih.nic.in/food) पर प्रदर्शित क्रय की मात्रा अंतिम रूप से मान्य होगा।

जिला पदाधिकारी 10 दिनों के अन्दर क्रय केन्द्र का भौतिक सत्यापन कराते हुए अंतिम प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

यदि पोर्टल पर प्रदर्शित मात्रा एवं भौतिक सत्यापन में पैक्स/व्यापार मंडलवार कोई अंतर आता है तो जिला पदाधिकारी अंतर के बिन्दु पर अंतिम रूप से निर्णय लेंगे। यदि अंतर के कारण में कोई अनियमितता दृष्टिगोचर होता है तो इस संबंध में जबाबदेही निर्धारित करते हुए संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन बिहार राज्य खाद्य निगम एवं निबंधक सहयोग समितियाँ को उपलब्ध करायेंगे।

#### **(v) अधिप्राप्ति कार्य में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की भूमिका**

- विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि बिहार राज्य खाद्य निगम अधिप्राप्ति कार्य से संबंधित सभी कार्रवाई कुशलता एवं पारदर्शी ढंग से करे।
- नोडल विभाग की हैसियत से अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न विभिन्न अभिकरणों तथा विभागों के बीच समन्वय का कार्य करना।
- बिहार राज्य खाद्य निगम को अधिप्राप्ति कार्य हेतु आवश्यक निधि का प्रबंध करने में सहयोग करना।

#### **(vi) जिलों के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव की भूमिका**

- प्रत्येक माह अपने सम्बद्ध जिले का भ्रमण कर अधिप्राप्ति कार्य की गहन समीक्षा करना एवं मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त तथा विभाग को मंतव्य सहित प्रतिवेदन समर्पित करना।

**(vii) प्रमण्डलीय आयुक्त की भूमिका**

- प्रत्येक सप्ताह अपने संबद्ध जिले का भ्रमण कर अधिप्राप्ति कार्य की गहन समीक्षा के अतिरिक्त प्रमंडल स्तर पर गठित संयुक्त जाँच दल द्वारा सम्पन्न निरीक्षण की प्रत्येक माह समीक्षा करना।

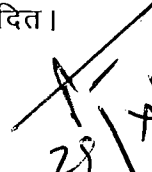
**5. स्थानान्तरण एवं अवकाश पर प्रतिबंध**

- सामान्य रूप से अधिप्राप्ति की अवधि में इस कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों का स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा। विशेष परिस्थिति में स्थानांतरित प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मचारी धान अधिप्राप्ति कार्य से जुड़े सभी अभिलेख एवं भंडार का पूर्ण प्रभार सौंप कर ही विरमित होंगे।
- अधिप्राप्ति की अवधि में इस कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। अत्यन्त आवश्यक होने पर एक स्तर उपर से पूर्वानुमति प्राप्त कर अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।

सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित।

  
29/10/2021

सचिव,  
सहकारिता विभाग,  
बिहार, पटना।

  
29/10/21

सचिव,  
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,  
बिहार, पटना।